पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 07 /अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 01/01/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '94वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 09.01.2025 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना। (पृष्ठ क्र. 01 से 11 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **बजट 2024–25 में 1. B. Engineering Unit 18 Concealed Wiring मद में प्रावधानित राशि रू. 500.00 लाख के पुनर्विनियोजन पश्चात् शेष राशि रू. 478.00 लाख में से H. Staff Welfare Units 1. Medical Aid to Officers, Employees & Teachers (Reimbursement) मद में राशि रू. 15.00 लाख पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।**

3. **बजट 2024–25 में 1. A. General Administration 31 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रू. 100.00 लाख में से रु. 2.00 लाख H. Staff Welfare Units 2. Ex-gratia Grant to Individual Cases of Extreme Distresses मद में पुनर्विनियोजन किये जाने के संबंध में विचार करना।**

4. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 84 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–जनवरी 2024–25 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 18,25,000.00 (रुपए अठारह लाख पच्चीस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 84 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर–जनवरी 2024–25 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 18,25,000.00 (रुपए अठारह लाख पच्चीस हजार मात्र) कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. **छात्रवृत्ति गठन समिति हेतु 03 संकायाध्यक्षों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।**

   टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति सत्र 2024–25 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन हेतु संलग्न संकायाध्यक्षों की सूची में से किन्ही तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया जाना है।

   अतः छात्रवृत्ति गठन समिति हेतु 03 संकायाध्यक्षों के मनोनयन हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

6. **विभिन्न कॉलेज से प्राप्त संबद्धता शुल्क पर जीएसटी भुगतान के संबंध में पक्ष रखने हेतु सी. ए. को (Power of Attorney) सौंपे जाने के सूचना के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुत।**

   टीप : कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, वृत्त–एक रायपुर के पत्र क्रमांक/सा.आ./एक/रा–एक/प्रवर्तन–अन्य/2/2024–25/2873, रायपुर दिनांक 21.10.2024 के संदर्भ में विभिन्न कॉलेजों से प्राप्त संबद्धता शुल्क (Affiliation Fees) पर जीएसटी भुगतान (सत्र 2017–2024 तक के मांग राशि) आरोपित किया गया है।

   उक्त प्रकरण पर विश्वविद्यालय के लेखा कार्य सम्पादन हेतु अनुबंधित/अधिकृत सी.ए श्री प्रशांत देशमुख एवं श्री भुपेश कुमार चौबे, दुर्ग, को प्रकरण पर पक्ष/प्रस्तुतीकरण (Power of Attorney) के लिए अधिकृत किए जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद के समक्ष सादर सूचनार्थ प्रस्तुत।

7. **डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 58,42,318.00 (रुपए अंठावन लाख बयालीस हजार तीन सौ अठारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला का दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 58,42,318.00 (रुपए अंठावन लाख बयालीस हजार तीन सौ अठारह मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. **डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 26,18,400.00 (रुपए छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 3523/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 31.01.2024 के परिपालन में डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला **का** दिनांक 31.01.2025 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

डॉ. प्रसाद को उक्त आदेशानुसार 240 दिनों के अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि गणना पत्र के अनुसार रु. 26,18,400.00 (रुपए छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ मात्र) का भुगतान किया जाना है। डॉ. प्रसाद का बकाया शेष नहीं प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक 3501/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 04.12.2024 जारी किया गया है।

डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को 240 दिनों का अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि गणना पत्रक के अनुसार राशि रु. 26,18,400.00 (रुपए छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. **डॉ. बंश गोपाल सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 44,19,511.00 (रुपए चौवालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ ग्यारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः डॉ. बंश गोपाल सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला का दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 44,19,511.00 (रुपए चौवालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ ग्यारह मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. **श्री श्रवण सिंह ठाकुर, कनिष्ठ अधीक्षक, पर्यावरण अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,32,337.00 (रुपए नौ लाख बत्तीस हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः श्री श्रवण सिंह ठाकुर, कनिष्ठ अधीक्षक, पर्यावरण अध्ययनशाला का दिनांक 31.11.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,32,337.00 (रुपए नौ लाख बत्तीस हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) भुगतान किया जा चुका है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **श्री राजेन्द्र प्रसाद औसर, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 17,23,883.00 (रुपए सत्रह लाख तेईस हजार आठ सौ तिरासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः श्री राजेन्द्र प्रसाद औसर, वरिष्ठ अधीक्षक, परीक्षा विभाग का दिनांक 31.12.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 17,23,883.00 (रुपए सत्रह लाख तेईस हजार आठ सौ तिरासी मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. **श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 11,39,727.00 (रुपए ग्यारह लाख उनतालीस हजार सात सौ सत्ताईस मात्र) में से 10% रोककर शेष राशि रु. 10,25,754.00 (रुपए दस लाख पच्चीस हजार सात सौ चौवन मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः श्री हरीश कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ अधीक्षक, सामान्य प्रशासन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान कार्यपरिषद् की अनुमोदन की प्रत्याशा में राशि रु. 11,39,727.00 (रुपए ग्यारह लाख उनतालीस हजार सात सौ सत्ताईस मात्र) में से 10% राशि शासकीय आवास रिक्त नहीं होने के कारण रोक कर शेष राशि रु. 10,25,754.00 (रुपए दस लाख पच्चीस हजार सात सौ चौवन मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की साफ–सफाई व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र. 694/विकास/नि.सू./2023 रायपुर, दिनांक 04.10.2023 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

दर अनुसूची में New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, RAJAT SANKUL, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होने के कारण विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था का कार्य हेतु 01 वर्ष (दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक) के लिए पत्र क्र. 34/विकास/सफाई कार्य/2024 रायपुर, दिनांक 15.01.2024 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म का कार्य संतोषजनक है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुबंध की कंडिका 30 के अनुसार संबंधित फर्म का कार्यकाल संतोषजनक होने के कारण एक वर्ष के लिये (दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था हेतु अनुबंध में 01 वर्ष की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र. 692/विकास/नि.सू./2023 रायपुर, दिनांक 04.10.2023 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

दर अनुसूची में New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, RAJAT SANKUL, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होने के कारण विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य हेतु 01 वर्ष (दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक) के लिए पत्र क्र. 48/विकास/सफाई कार्य/2024 रायपुर, दिनांक 19.01.2024 के द्वारा आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म का कार्य संतोषजनक है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुबंध की कंडिका 20 के अनुसार संबंधित फर्म का कार्यकाल संतोषजनक होने के कारण एक वर्ष के लिये (दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध में 01 वर्ष की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

15. **अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 200 नग स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय हेतु रु. 6,54,556.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार पाँच सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 200 नग स्टेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय किया जाना है। उक्त सामग्री छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर रु. 6,54,556.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार पाँच सौ छप्पन मात्र) व्यय होने की संभावना है।

क्रय किये जाने वाले सामग्री का भुगतान बजट Other SoS 1(a) Furniture & Fixture में प्रावधानित राशि से किये जाने हेतु प्रस्तावित है। अतः उक्त सामग्री क्रय करने के लिए रु. 6,54,556.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार पाँच सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. **श्री विजय रास बिहारी दास, अधिवक्ता को स्थानीय न्यायालय में विश्वविद्यालय के पक्ष रखने हेतु विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में शामिल किए जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : श्री विजय रास बिहारी दास, अधिवक्ता को स्थानीय न्यायालय में विश्वविद्यालय के पक्ष रखने हेतु विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में शामिल किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

17. **श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में विचार करना।**

टीप : (1) श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति वि.वि. आदेश क्र. 749/सा. प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 को निरस्त करने हेतु उनके अपील आवेदन दिनांक 15.01.2024 के संबंध में विस्तृत जाँच हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.07.2024 के पूरक विषय सूची 16 पर लिये गये निर्णयानुसार तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

(2) अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) द्वारा 08 बिन्दुओं का कुल 11 पेज का अभ्यावेदन एवं 14 पेज का संलग्नक प्रस्तुत किया गया।

(3) कार्यपरिषद की स्वीकृति उपरांत गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा अपीलार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं दस्तावेज की जाँच किया गया।

(4) तीन सदस्यीय समिति ने अपनी जाँच में पाया कि "छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं विश्वविद्यालय परिनियम 31 के भाग–5 शास्तियाँ एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी के कंडिका 57 (1) (ई) – अनिवार्य सेवानिवृत्ति" तथा निलंबन छ.ग. मूलभूत नियम–56 अनिवार्य सेवानिवृत्ति में वर्णित परिपत्र की कंडिका– 5 एवं 8 के परिपालन में श्री महेन्द्र कुमार भिड़े को प्रदान की गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति मान्य योग्य है।

अतः समिति द्वारा जाँचोपरांत लिया गया उपर्युक्त निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

18. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,

1/1/25

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 08 /अका./का.प/2025 रायपुर, दिनांक 01 /01/2025

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '94वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 09.01.2025 को सायं 5.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.01.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।**
(पृष्ठ क्र. 01 से 07 तक)

<u>टीप</u>: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

2. **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2024 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप: कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

3. **विश्वविद्यालय में कार्यरत् न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टीव सर्विसेज से अतिरिक्त श्रमिक कार्य पर लिये जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> विश्वविद्यालय में कार्यरत् न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टीव सर्विसेज से वर्तमान में कार्यरत 93 सफाई कर्मियों के अतिरिक्त निम्नलिखित भवन/अन्य कार्यों के लिए सफाई कर्मी की आवश्यकता है –

1. यूटीलिटी/सामुदायिक भवन, छात्र सदन हेतु	–	02 सफाई कर्मी
2. राजभवन हेतु	–	02 सफाई कर्मी
3. परीक्षा भवन हेतु	–	02 सफाई कर्मी
4. अन्य कार्य (खरपतवार की कटाई, सफाई करना, परिसर से कचरा उठवाना, कुर्सी टेबल उठवाना एवं परिसर कटाई एवं सफाई नियमित संधारण करना।)	–	08 सफाई कर्मी

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

4. **शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./ 2023 रायपुर, दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13.12.2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार करना।**

<u>टीप</u>: शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen. Adm./2023 रायपुर, दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जारी संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13.12.2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना–

(1) पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 रायपुर, दिनांक 06/09/2023 के सन्दर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 20.12.2023 को अनुमोदित स्क्रूटनी समिति में आंशिक

संशोधन के साथ विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों के लिए स्क्रूटनी समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है –

1) निदेशक, IQAC
2) विभागाध्यक्ष (जो सम्बन्धित विशेषज्ञता धारित करता हो)
   यदि विशेषज्ञता धारित करने वाला विभागाध्यक्ष नहीं हो तो कुलपति जी की अनुमति से संकाय अध्यक्ष अथवा बाह्य विशेषज्ञ होंगे)
3) प्रो. बलवंत ठाकुर, विभागाध्यक्ष, गणित अध्यनशाला
4) प्रो. के.के. साहू, विभागाध्यक्ष, बायो–टेक्नोलॉजी अध्यनशाला
5) प्रो. एस. जे. डहरवाल, विभागाध्यक्ष, फार्मेसी अध्यनशाला
6) प्रो. निस्तर कुजूर, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्यनशाला

(2) पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen-Adm-/2023 रायपुर, दिनांक 06/09/2023 के सन्दर्भ में कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 20/12/2023 को अनुमोदित Criteria for Shortlisting of candidates, Academic/Research Score Sheets के निम्नवत प्रस्तुत प्रारूप तथा Selection Criteria को विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले आगामी विज्ञापनों के सन्दर्भ में अनुमोदित किये जाने पर विचार।

Selection Criteria for Direct Recruitment of Teachers

Assistant Professor

S. N.	Particulars			Max Marks
1.	Marks on Academic Record (60% of Score on Academic Record calculated as per UGC Regulation 2018)			60
2.	Teaching Demonstration			20
	(i)	Assessment of Teaching Skill	10	
	(ii)	Assessment of Domain Knowledge	10	
3.	Interview Performance			20
Total marks				100

Associate Professor

S. N.	Particulars	Max Marks
1.	Marks on Academic Record • PG (First Division-10 marks, Second Division with >=55 percent-5 marks) • UG (First Division-5 marks) • HSC/HSSC (First Division-5 marks)	20
2.	Quality of Publication: • 2 marks per publication in WoS journals with Journal Impact Factor (JIF)	30

	• 1 mark per publication in Scopus/ WoS journals (UGC-CARE List Group II journals) if they do not have JIF • 0.5 mark per publication in UGC listed/Care-list journals (not included in the above categories) Note: Journal Impact factor to be determined as per JCR of Thomson Reuters (Clarivate Analytics).	
4.	Quality of Research Assessed by Experts (based on publication, research guidance, projects, patent, visits to foreign institutions, etc.)	10
3.	Teaching Demonstration	20
	(i) Assessment of Teaching Skill — 10	
	(ii) Assessment of Domain Knowledge — 10	
5.	Interview Performance	20
	Total marks	**100**

Professor

S. No.	Particulars	Max Marks
1.	Marks on Academic Record • PG (First Division-10 marks, Second Division with >=55 percent-5 marks) • UG (First Division-5 marks) • HSC/HSSC (First Division-5 marks)	20
2.	Quality of Publication: • 2 marks per publication in WoS journals with Journal Impact Factor (JIF) • 1 mark per publication in Scopus/ WoS journals (UGC-CARE List Group II journals) if they do not have JIF • 0.5 mark per publication in UGC listed/Care-list journals (not included in the above categories) Note: Journal Impact factor to be determined as per JCR of Thomson Reuters (Clarivate Analytics).	30
4.	Quality of Research Assessed by Experts (based on publication, research guidance, projects, patent, visits to foreign institutions, etc.)	20
3.	Teaching Demonstration	10
	(i) Assessment of Teaching Skill — 05	
	(ii) Assessment of Domain Knowledge — 05	
5.	Interview Performance	20
	Total marks	**100**

(3) पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb./Gen.Adm./2023 रायपुर, दिनांक 06/09/2023 के तहत प्राप्त आवेदनों के संबंध में अपनायी जाने वाली भर्ती–प्रक्रिया के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 20/12/2023 में प्रदत्त अनुमोदन पर संशोधित विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb-/Gen-Adm-/2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा नवीन विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb-/Gen-Adm-/2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 तथा वर्ष 2025 में जारी किये जाने वाले

आगामी विज्ञापनों के सन्दर्भ में भर्ती–प्रक्रिया के निम्नांकित बिन्दुओं को पुनः अनुमोदित करने पर विचार करना –

(a) प्राप्त आवेदनों को लिफाफा खोलकर संलग्नकों सहित आवेदन पत्र की Page Numbering किया जाना।

(b) संलग्नकों सहित आवेदन पत्र की स्कैनिंग कर हार्ड–डिस्क में सुरक्षित रखना।

(c) स्कैनिंग उपरांत प्राप्त समस्त स्वीकृत आवेदनों की लिस्टिंग कर स्क्रूटनी हेतु स्क्रूटनी–समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

(d) स्क्रूटनी–समिति द्वारा समस्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अर्ह/ अनर्ह (Eligible/Not-Eligible) की सूची जारी करते हुए आवश्यकतानुसार चयन हेतु साक्षात्कार तिथि घोषित किया जाना।

(e) अनर्ह अभ्यर्थियों को दावा–आपत्ति हेतु 03 दिवस का समय दिया जाना।

(f) स्क्रूटनी–समिति द्वारा प्राप्त दावा–आपत्तियों का निराकरण किए जाने के उपरांत पुनः अर्ह/ अनर्ह (Eligible/Not&Eligible) की संशोधित सूची जारी किया जाना।

(g) अर्ह (Eligible) अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा ई–मेल के माध्यम से चयन–समिति की बैठक की निर्धारित तिथि पर समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के सन्दर्भ में सूचित/आमन्त्रित किया जाना।

(h) चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त विषय से सम्बंधित अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जारी करते हुए उन्हें ई–मेल के माध्यम से भी चयन के सम्बन्ध में सूचित किया जाना।

(4) विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./ 2024 रायपुर, दिनांक 03/10/2024 तथा विज्ञापन क्रमांक 3650/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर, दिनांक 13/12/2024 के सन्दर्भ में एक पद के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर चयन–समिति के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में आमंत्रित किये जाने से सम्बंधित नियमावली पर विचार करना ।

1) विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम कितने आवेदन प्राप्त होने पर साक्षात्कार आयोजित किये जाने पर विचार करना ।

2) बैकलॉग विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम कितने आवेदन प्राप्त होने पर साक्षात्कार आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना ।

3) विज्ञापित पदों हेतु बहुत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अर्हता के आधार पर कितने आवेदकों को साक्षात्कार में बुलाया जाना होगा, के सम्बन्ध में विचार करना।

(5) विज्ञापन क्रमांक 2895/Estb./Gen.Adm./2024 रायपुर दिनांक 03/10/2024 से प्राप्त आवेदनों में से 21 अन्य नामों से प्राप्त DD के संबंध में पूर्व कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/11/2024 को लिए गए निर्णयानुसार आवेदकों को ई–मेल तथा वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रदान कर 15 दिवस का समय प्रदान किया गया तथा पुनः प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 31/12/2024 के बाद भी जिन्होंने सही नाम से DD प्रेषित नहीं किए उनके आवेदनों को निरस्त किये जाने के संबंध में विचार किया जाना।

(6) विज्ञापन क्र 2895/ Estb./ Gen.Adm- / 2024 Raipur Dated 03/10/2024 से प्राप्त आवेदनों में कुछ आवेदनों में DD संलग्न नहीं थे उन आवेदनों को निरस्त किये जाने के संबंध में विचार किया जाना।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. **डॉ. सी.डी. अगासे, प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से अपार्टमेंट क्रय करने हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 30,00,000.00 (रुपए तीस लाख मात्र) भुगतान किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : डॉ. सी.डी. अगासे, प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से अपार्टमेंट क्रय करने हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 30,00,000.00 (रुपए तीस लाख मात्र) भुगतान किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. **विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों /कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नगदीकरण (सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान) के अंतर की राशि भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : विषयांतर्गत विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों /कर्मचारियों के सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान में अर्जित अवकाश नगदीकरण के अंतर की राशि के भुगतान के संबंध में माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.10.2024 अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण के बिन्दु क्रमांक 04 में निर्णय लिया गया है।

कार्यपरिषद के निर्णय के परिपेक्ष्य में कुल 20 शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सातवें वेतनमान एवं छठवें वेतनमान में अर्जित अवकाश नगदीकरण के गणना पत्रक के अनुसार अंतर की कुल राशि रू. **11,73,889.00** (ग्यारह लाख तिहत्तर हजार आठ सौ नवासी रू. मात्र) संलग्न है ।

तत्संबंध में द्वितीय चरण में कुल 20 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों (न्यायालयीन प्रकरण को छोडकर) अर्जित अवकाश नगदीकरण भुगतान राशि रू. गणना पत्रक के अनुसार अंतर की कुल राशि रू. **11,73,889.00** (ग्यारह लाख तिहत्तर हजार आठ सौ नवासी रू. मात्र) के छ.ग. पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 एवं छ.ग. अवकाश नियम 2010 के अर्जित अवकाश नगदीकरण के नियमानुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

7. **डॉ. एस. एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (सेवानिवृत्त) के कुल 28 माह के मानदेय राशि रू 873600/- के भुगतान की स्वीकृति एवं अधिक भुगतान की राशि 1243285/- के समायोजन की अनुमति के संबंध में विचार करना।**

टीप : 1. माननीय कार्यपरिषद की 82वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 के पूरक विषय सूची क्रमांक 19 में लिए गए निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ. एस. एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (सेवानिवृत्त) को सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2022 के पश्चात्वर्ती तिथि दिनांक 01. 08.2022 से वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर अतिथि शिक्षक के अधिकतम मानदेय राशि रू. 31200/– प्रतिमाह के आधार पर कार्य पर रखे जाने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क. 165/सा. प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 15/01/2024 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

अतः डॉ. एस. एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (सेवानिवृत्त) के दिनांक 01.08.2022 से 30.11.2024 तक कुल 28 माह के मानदेय की राशि रू **873600.00 (87360.00 (10% TDS) कटौती सहित)** Rs. Eight Lakh Seventy Three Thousand Six Hundred Only के भुगतान की सक्षम स्वीकृति हेतु माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

2. विश्वविद्यालय पत्र क. 2407/स्था./सा.प्र.शा/2024 के तारतम्य में डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी(सेवानिवृत्त) से आधिक्य भुगतान की राशि 1243285/- के विरूद्ध मानदेय राशि से समायोजन हेतु प्रस्तुत उनके आवेदन क. HC/156/06.12.24 अनुसार उन्हें भुगतान किये जाने वाले मानदेय राशि 873600/- के भुगतान स्वीकृति एवं समायोजन की अनुमति हेतु माननीय कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

8. **डॉ. एस.एस. अग्रवाल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी के अवकाश नगदीकरण के भुगतान के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : विषयांर्तगत विश्वविद्यालय आदेश क्र. 1789/सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 12.06.2024 के द्वारा डॉ. एस.एस. अग्रवाल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य केन्द्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के दिनांक 31.07.2022 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पात्रतानुसार कुल 232 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। डॉ. अग्रवाल को विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 2407/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 05.08.2024 के द्वारा वेतन निर्धारण संशोधन के उपरांत आधिक्य भुगतान राशि 12,43,285/–की वसूली शेष है । डॉ. अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत मानदेय देयक अतिथि व्याख्याता के विरूद्व मानदेय (दिनांक 01.08.2022 से 30.11.2024 तक मानदेय राशि रू. 31200/– प्रतिमाह की दर से) राशि रू. 8,73,600/– समायोजन हेतु नस्ती पृथक से प्रस्तुत किया गया है ।

डॉ. अग्रवाल को वि.वि. आदेश क्र. 1789/सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 12.06.2024 अवकाश नगदीकरण की भुगतान राशि 14,00,105/– में से शेष आधिक्य भुगतान राशि रू. 3,69,685/– की कटौती कर राशि रू. 10,30,420/– का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

डॉ. एस.एस. अग्रवाल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी के अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना अनुसार अवकाश नगदीकरण की राशि रू. 14,00,105/– (रुपए चौदह लाख एक सौ पाँच मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद में प्रकरण रखे जाने की हेतु नस्ती अवलोकनार्थ एवं भुगतान स्वीकृति हेतु सक्षम आदेशार्थ प्रस्तुत।

9. **दिनांक 01.10.2024 से विश्वविद्यालय 90% प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहें कुल 28 पेंशनरों को 230% पेंशन के स्थान पर 239% प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : विषयांतर्गत छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के वित्त निर्देश 30/2024 पत्र क्रमांक 835/एफ 2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.10.2024 के द्वारा छत्तीसगढ राज्य के पेंशनरों की महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरों में संशोधन किया गया है ।

राज्य शासन द्वारा पेंशनरों /परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.03.2024 से 46 प्रतिशत (सातवें वेतनमान में) एवं 230 प्रतिशत (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

राज्य शासन द्वारा पत्रानुसार वर्तमान में लिए गए निर्णयानुसार राज्य शासन राज्य के पेंशनर /परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत किया गया है:–

वेतनमान	**अवधि जब से देय है**	**महंगाई राहत में वृद्वि का प्रतिशत**	**वृद्वि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत**
सातवां वेतनमान	01.10.2024	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 4%	50%
छठवां वेतनमान	01.10.2024	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 9%	239%

अतः विश्वविद्यालय द्वारा 90% प्रतिशत प्राप्त कर रहें प्रत्याशित पेंशनरों को महंगाई राहत 230% की दर से प्रत्याशित पेंशन (छठवें वेतनमान) में भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 01.10.2024 से छ.ग. राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें के समान विश्वविद्यालय पेंशनरों को भी महंगाई राहत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

तत्संबंध में दिनांक 01.10.2024 से विश्वविद्यालय 90% प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहें कुल 28 पेंशनरों को 230% पेंशन के स्थान पर 239% प्रदान किए जाने हेतु नस्ती माननीय कार्यपरिषद के सापेक्ष छ.ग. शासन के आदेश को अंगीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

10. **शास. खे.ल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, महासमुंद को वार्षिक/सेमेस्टर/पूरक परीक्षा के संचालन हेतु रु. 1604000/– का समायोजन एवं महाविद्यालय द्वारा किये गए आधिक्य व्यय राशि रु. 10,50,435/– (रु. दस लाख पचास हजार चार सौ पैंतीस मात्र) के प्रतिपूति भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीपः शास. खे.ल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, महासमुंद को वार्षिक/सेमेस्टर/पूरक परीक्षा के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राशि रु. 16,04,000/– प्रदाय किया गया था जिसके विरूद्ध आय–व्यय नस्ती सत्र 2007–08 से सेमेसटर परीक्षा दिसम्बर–जनवरी 2023–24 तक के व्यय किया गया है।

अतः 1,60,4000/– का समायोजन एवं महाविद्यालय द्वारा किये गए आधिक्य व्यय राशि रु. 10,50,435/– (रु. दस लाख पचास हजार चार सौ पैंतीस मात्र) (16,04,000+10,50,435= 26,54,435) के प्रतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

11. **HDFC बैंक के गेटवे पाथ के माध्यम से विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्कों की जमा सुविधाओं के संबंध में विचार करना।**

टीप : एक्सिस बैंक के गेटवे पाथ के माध्यम से विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क एवं अन्य विभिन्न प्रकार के शुल्क संग्रहण/जमा किया जा रहा है, किन्तु एक ही गेटवे होने के कारण जब कभी गेटवे पाथ का सर्वर जाम/बंद हो जाता है, तब छात्रों को शुल्क जमा करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः छात्रहित के दृष्टिगत HDFC बैंक के गेटवे पाथ के माध्यम से, विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्कों की जमा सुविधाएं लिये जाने हेतु HDFC बैंक को गेटवे पाथ सेवाएं के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

12. **श्री धनसिंह गहिरवारे, कक्ष अधिकारी, गोपनीय विभाग को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से पुत्री के विवाह हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 9,00,000.00 (रुपए नौ लाख मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति संबंध में विचार करना।**

टीप : श्री धनसिंह गहिरवारे, कक्ष अधिकारी, गोपनीय विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से अपार्टमेंट क्रय करने हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 9,00,000.00 (रुपए नौ लाख मात्र) भुगतान किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. **वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2025 हेतु अनुचित साधन (UFM) निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।**

टीप : छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्यादेश क्रमांक 5 की धारा 20 की उपधारा 6 (Committee to be appointed by the Executive Council every year) के अनुसार अनुचित साधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है :–

(1) कार्यपरिषद् से एक सदस्य
(2) संकायाध्यक्ष से एक सदस्य
(3) विद्यापरिषद् से एक सदस्य
(4) विद्यार्थी परिषद् से एक सदस्य

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. **माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 के सक्षम स्वीकृति अनुसार DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत Fabrication of experimental setup (High pressure fixed bed micro reactor with additional setup) का कुल राशि रु. 51,99,080.00 (रुपए इंक्यावन लाख निन्यानबे हजार अस्सी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.01.2024 के सक्षम स्वीकृति अनुसार DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत Fabrication of experimental setup (High pressure fixed bed micro reactor with additional setup) निम्न विवरण अनुसार देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है –

क्र.	उपकरण/कार्य का नाम	फर्म	**Amount to be paid**
Fabrication of experimental setup (High pressure fixed bed micro reactor with additional setup)			
1	High pressure fixed bed micro reactor	M/S Bharati Chemical & Scienctific Works, Kolkata	Rs. 42,91,660=00
2	Additional setup	M/S Bharati Chemical & Scienctific Works, Kolkata	Rs. 9,07,420=00
		Total =	**Rs. 51,99,080=00**

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

15. **DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण Electrospinnig Machine एवं Lab prerequisites राशि रु. 41,27,050.00 (रुपए इकचालीस लाख सत्ताईस हजार पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : माननीय कार्यपरिषद् को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजन (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145; दिनांक 13.01.2023) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण Automated Electrospinning Machine Spingenix Sg-10 Electrospinning System हेतु निम्न विवरण अनुसार देय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	उपकरण/कार्य का नाम	फर्म	**Amount to be paid**
1	**Electrospinning Machine**	**M/S Bharati Chemical & Scienctific Works, Kolkata**	**Rs. 34,04,300=00**
2	**Lab prerequisites**	**M/S Bharati Chemical & Scienctific Works, Kolkata**	**Rs. 7,22,750=00**
		Total=	**Rs. 41,27,050=00**

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. **सेमेस्टर परीक्षा 2024-25 में NEP (UG) के अंतर्गत समन्वयक केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई के नाम से कुल 70.00 लाख (रुपए सत्तर लाख मात्र) अग्रिम राशि जारी करने के संबंध में विचार करना।**

टीप : सेमेस्टर परीक्षा 2024-25 में NEP (UG) के अंतर्गत रु. 2.5 लाख उत्तरपुस्तिका और अन्य विषयों के सेमेस्टर परीक्षाओं के 1.20 लाख उत्तरपुस्तिका (कुल 3.70 उत्तरपुस्तिका) का केन्द्रीय मूल्यांकन किया जाना है।

जिसमें स्नातक स्तर पर रु. 15/प्रति उत्तरपुस्तिका एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रु. 25/प्रति उत्तरपुस्तिका के दर मूल्यांकनकर्ताओं को पारिश्रमिक दिया जाना है। साथ ही दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, चाय-बिस्किट एवं अन्य व्यय के भुगतान हेतु अग्रिम राशि रु. 70,00,000.00 (रुपए सत्तर लाख मात्र) की अनुमानित व्यय हेतु आवश्यकता है।

अतः समन्वयक केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई के नाम से कुल 70.00 लाख (रुपए सत्तर लाख मात्र) अग्रिम राशि जारी करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

17. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 (दिसंबर-जनवरी) से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" में सेमेस्टर व्यवस्था के अंतर्गत संचालित बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम./बी.एस. (होम साइंस)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु) एवं नवीन पाठ्यक्रम Integrated Teacher Education Program (ITEP) बी.ए.बी.एड्./बी.एस-सी.बी.एड्./बी.कॉम.बी.एड. के विभिन्न सेमेस्टरों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 (दिसंबर-जनवरी) से "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" में सेमेस्टर व्यवस्था के अंतर्गत संचालित बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम./बी.एस. (होम साइंस)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु) एवं नवीन पाठ्यक्रम Integrated Teacher Education Program (ITEP) बी.ए.बी.एड्./बी.एस.सी.बी.एड्./बी.कॉम.बी.एड. के विभिन्न सेमेस्टरों के लिए निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है -

नियमित :-

क्र.	कक्षा/परीक्षा का नाम	परीक्षा/शुल्क + अग्रेषण शुल्क (रु.)	कुल शुल्क (सेमेस्टर वार)
1	बी.ए./बी.ए. क्लासिक्स/बी.कॉम.	1100+ 30	1130
2	बी.एस-सी./बी.एस-सी. (होम साइंस)	1130+ 30	1160
3	बी.सी.ए.	1810+ 10	1840
4	बी.बी.ए.	1330+ 30	1360

स्वाध्यायी :-

क्र.	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि (रु.) (सेमेस्टर वार)
1	परीक्षा शुल्क (बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम.)	1610
2	नामांकन शुल्क	70 (प्रथम बार)
3	शारीरिक शिक्षा शुल्क	50
4	ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क	50
5	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	288
6	असाइनमेंट शुल्क	90
7	अग्रेषण शुल्क	30
	कुल राशि =	**2188**

नियमित :–

क्र.	कक्षा / परीक्षा का नाम	परीक्षा / शुल्क + अग्रेषण शुल्क (रु.)	कुल शुल्क (सेमेस्टर वार)
1	बी.ए.बी.एड्.	1521+ 30	1551
2	बी.एस.सी.बी.एड्.	1551+ 30	1581
3	बी.कॉमबी.एड.	1521+ 30	1551

उपरोक्तानुसार सूची माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

18. **Endline Survey Report 2024 के अग्रिम देय राशि रु. 6,80,000.00 (रुपए छः लाख अस्सी हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक फा/ क्रमांक 01/स्वीप/इंडलाइन सर्वे/2024/6361 रायपुर, दिनांक 18.07.2024 के अनुसार 05 संभाग के समस्त 33 जिलों के सभी 90 विधान सभा क्षेत्रों के संभागवार Endline Survey Report 2024 के हेतु कुलसचिव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. को प्रदाय अग्रिम राशि रु. 6,80,000.00 (रुपए छः लाख अस्सी हजार मात्र) स्वीकृत/अनुदान प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रकरण पर कार्यक्रम समन्वयक, डॉ. एल.एस. गजपाल, कार्यक्रम समन्वयक (समाजशास्त्र एवं समाजकार्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.) को Institutional Overhead राशि रोककर राशि रु. अग्रिम राशि रुपए 6,45,000.00 (रुपए छः लाख पैंतालीस हजार मात्र) भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

19. **Documentation Projection and Conservation Rock Art Sites in District Raigarh, Chhattisgarh, हेतु प्राप्त राशि का समायोजन के संबंध में विचार करना।**

टीप : जिला खनिज न्यास निधि, डी.एम.एफ. फण्ड से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. को प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत "Documentation Projection and Conservation Rock Art Sites in District Raigarh, Chhattisgarh" के संचालन हेतु विभिन्न मदों में पृथक–पृथक प्रदान की गई अग्रिम धनराशि के सापेक्ष संयुक्त रूप से राशि रु. 8,56,618 (रुपए आठ लाख छप्पन हजार छः सौ अठारह मात्र) का समायोजन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

20. **उपाधि मुद्रण हेतु निविदा के कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय के उपाधि मुद्रण हेतु निविदा सूचना क्र.835/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 11/12/2024 के द्वारा निविदा सूचना छ.ग. संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय एवं 01 राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है।

उक्त निविदा में उपाधि मुद्रण करने पर प्रति वर्ष रू. 7,00,000.00 (रूपये सात लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है। छात्र–छात्राओं के आवेदन के आधार पर आवश्यकता अनुसार संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। उपाधि मुद्रण का भुगतान (1) Examination & Evaluation Administration (2) (a) Stationery & Printing (including Degree & Exam. Form) के लिये प्रावधानित मद से भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

21. **तृतीय रूचि अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EoI)]- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कैन्टीन संचालन के कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः तृतीय रूचि अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EoI)]- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कैन्टीन संचालन हेतु सूचना क्र.775/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 19/11/2024 के द्वारा निविदा सूचना छ.ग. संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है।

निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया गया है–

1. में. टिप्सी इवेन्ट्स, 00, जोन बाई दि पार्क, VIP चौक के पास, जीवन विहार, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)।
2. Sanjay Kachhwaha, Ward No.6, Pendra Road (C.G.)
3. माईलस्टोन सॉफ्ट टेक प्रा.लि., विकास नगर, देवपुरी, रायपुर (छ.ग.)
4. मेसर्स सी.एच. फिलिप, टेगौर स्कूल के पीछे, सेक्टर–1, शिवानंद नगर, खमतराई, रायपुर (छ.ग.)
5. Ramkumar Dadsena, B,404, Devpuri Dharsiwa, Raipur (C.G.)
6. Sanjay Kumar Yadav, Sanskar Hotels, Nemi Nagar, Jaipur
7. श्री नंदलाल भारती, वार्ड नं.15, इंडियन गैस गोदाम के पास, श्रीनगर रोड, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)

उपरोक्त फर्मों में तकनीकी बीड में योग्य पाये गये फर्मो का फायनेंसियल बीड खोला गया जिसमें Sanskar Hotels, Nemi Nagar, Jaipur द्वारा अधिकतम राशि रू.35,511.00 (रूपये पैतीस हजार पाँच सौ ग्यारह मात्र) रख–रखाव शुल्क प्रति माह दी जाने वाले राशि के आधार पर कैन्टीन संचालन के कार्य हेतु दिनांक 10/12/2024 को अनुबंध कराया गया है।

फर्म द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि रू.50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) को विश्वविद्यालय कोष में दिनांक 09/12/2024 में जमा कराया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्र. 862/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 30/12/2024 में विश्वविद्यालय परिसर के यूटिलिटी सेंटर में स्थित कैन्टीन स्थल को The University Cafe नाम से कैन्टीन संचालन हेतु आदेशित किया गया है।

अतः कैन्टीन संचालन के कार्य के लिये माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

22. **विश्वविद्यालय के उपयोग के लिये स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा के कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः वि.वि. के विभिन्न विभाग/अध्ययनशाला/छात्रावासो एवं वि.वि. प्रेस के उपयोग हेतु स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा सूचना क्र.837/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 11/12/2024 के द्वारा निविदा सूचना छ.ग. संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है।

उक्त निविदा में स्टेशनरी सामग्री क्रय करने पर रू.26,00,000.00 (छब्बीस लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है। क्रय किये जाने वाले सामग्रियों का भुगतान (1) Examination & Evaluation Administration (2) (a) Stationery & Printing (including Degree & Exam. Form) के लिये प्रावधानित मद से भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

23. **अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 15 नग कम्प्यूटर, यू.पी.एस., कम्प्यूटर टेबल एवं चेयर क्रय हेतु रू. 11,69,067=00 (रुपए ग्यारह लाख उनहत्तर हजार सड़सठ मात्र) की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः अध्यापक शिक्षा संस्थान के लिए 15 नग कम्प्यूटर, यू.पी.एस., कम्प्यूटर टेबल एवं चेयर क्रय किया जाना है। उक्त सामग्री छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर रू. 11,69,067=00 (ग्यारह लाख उन्हत्तर हजार सड़सठ मात्र) व्यय होने की संभावना है।

क्रय किये जाने वाले सामग्री का भुगतान बजट C.III Other SoS (C) Computer/Photocopy में प्रावधानित राशि से किये जाने हेतु प्रस्तावित है। अतः उक्त सामग्री क्रय करने के लिए रू. 11,69,067=00 (रुपए ग्यारह लाख उनहत्तर हजार सड़सठ मात्र) स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

24. **विश्वविद्यालय परिसर में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरा रिपेयरिंग एवं वार्षिक रख–रखाव (AMC) हेतु रु. 12,70,000.00 (रुपए बारह लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय परिसर में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों को रिपेयरिंग कराया जाना है एवं सी.सी. टी.वी. कैमरों के निरंतर संचालन हतु सी.सी.टी.वी. कैमरों का वार्षिक रख–रखाव (AMC) कार्य कराया जाना है। सी.सी.टी.वी. कैमरों के रिपेयरिंग पर अनुमानित व्यय रु. 7,70,000.00 (रुपए सात लाख सत्तर हजार मात्र) एवं वार्षिक रख–रखाव (AMC) कार्य परि रु. 5,00,000. 00 (रुपए पाँच लाख मात्र) व्यय होने की संभावना है। उक्त कार्य छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त कार्य का भुगतान बजट A. Gen. Adm. (26) Biometric & CCTV Camera में प्रावधानित राशि से किये जाने हेतु प्रस्तावित है। अतः उक्त कार्य कराये जाने हेतु रु. 12,70,000.00 (रुपए बारह लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

25. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

9/1/25

कुलसचिव